ग्रामीण विकास में पंचायत राज संस्थाओं की भूमिका: सांभर पंचायत समिति के संदर्भ में (2000–2018)

राजनीतिक विज्ञान में पीएच.डी उपाधि हेतु

शोध प्रस्तावना

शोध निर्देशिका

डॉ. सपना गहलोत

शोधार्थी

JV'n खुशबू गोस्वामी

मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग

ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर, भारत

2018–2019

विशेष सूची

		पृष्ठ संख्या
1-	पृष्ठभूमि	3-6
2.	ग्रामीण विकास की अर्थ व परिभाषा	7
3.	उद्देश्य	8
4.	ग्रामीण विकास की भूमिका	8
5.	अध्ययन की रूपरेखा	9-10

(1) परिचयात्मक अध्ययन

(2) पंचायती राज व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

(3) 73 वॉ संवैधानिक संशोधन और पंचायती राज अधिनियम–1994 (राजस्थान के संदर्भ में)

(4) राजस्थान में ग्रामीण विकास कार्यक्रम की रुपरेखा और कार्यक्रम का मूंल्याकन

(5) सांभर पंचायत में ग्रामीण विकास का मूंल्यांकन

(6) उपसंहार

6.	शोध परिकल्पना	11
7.	शोध विधि	12
8.	शोध प्रश्न	12
9.	साहित्य का अवलोकन	13-19
10.	संदर्भ ग्रंथ	19-23
11.	वेब लिंक	24

पृष्ठभूमि –

विकास की अवधारणा का सामान्य अर्थ है समाज एवं व्यक्ति के भौतिक परिवेश में क्रमबद्ध एवं धनात्मक परिवर्तन से है "विकास" 'वृद्धि' से भिन्न है इसमें व्यक्ति के भौतिक एवं समाज कल्याण के साथ आय एवं सुविधा या स्थिति के समान वितरण भी होता है।

विकास को समझने के पश्चात्, ग्रामीण विकास चर्चा करें तो इसका अर्थ कई तरह से निकलता है जैसे कार्यनीति के रूप में हम इसका अर्थ ले तो–"ग्रामीण–विकास" शब्द का निर्माण विशेष लोगों की आर्थिक–सामाजिक दशा में सुधार करने के लिए किया गया है और विषय के रूप में इसका अर्थ–कृषि के अंतभाग, सामाजिक आचरण प्रबधन विज्ञानों की चित्रण की प्रकृति है, ग्रामीण विकास के इतिहास की बात करें तो वैदिक युग में ग्रामीण शासन विधमान था जिसके माध्यम से ग्रामीण विकास के कार्यो को सम्पन्न किया जाता था।

रामायण व महाभारत काल में ग्राम का शासन ग्राम के मुखिया के निर्देशन में होता था और मुखिया को भी सम्पूर्ण ग्राम के विकास की जिम्मेदारी प्रदान की जाती थी। इसी तरह मौर्यकाल, गुप्तकाल और मुगलकाल में भी ग्रामीण विकास में स्थानीय शासन का उल्लेख मिलता है।

ब्रिटिश काल में स्थानीय शासन में ग्रामीण विकास, 17वीं शताब्दी में वैकल्पिक प्रयास के रूप में भारत में प्रारंभ हुए और सर्वप्रथम "फ्रेण्ड्स ऑफ क्अैकर" नाम की धार्मिक संस्था ने ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कार्य करने का बीड़ा उठाया।

भारत, उन देशों में सबसे आगे है जो गतिशीलता से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं औद्योगिक विकास के साथ विश्व शांति और भाईचारे की स्थापना के प्रयास करता है। भारत के सामने समस्या यह है कि यहां कई 'भारत' निवास करते है। प्रमुख रूप से "इण्डिया–भारत" का भेद शहरी और ग्रामीण दो अलग परिदृश्यों को प्रदर्शित करता है।

अतः हम बात करें ग्रामीण की तो "ग्रामीण" नगरों से सामाजिक व आर्थिक भिन्नता रखते है और नगरीय क्षेत्रों को अपेक्षा पिछड़े व अधिक सम्पन्न जीवन व सुविधाओं की सामान्यतः कमी होती है।

भारत गांवों का देश है और यहां 80 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास कर रही है तथा ग्रामीण समाज और उसकी स्थिति समूचे राष्ट्र विकास की धूरी है।

प्रारंभ में कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य और संबद्ध क्षेत्रों के विकास पर बल दिया गया, बाद में यह अहसास किया गया कि ग्रामीण विकास तभी संभंव हो सकता है जब सरकारी प्रयासों को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से लोगों की साझेदारी के द्वारा व्यापक रूप से सहायक बनाया जाए।

अतः सन् 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ "ग्रामीण विकास" के कल्याण के लिए प्रयास किए। राज्यों में जमीदारी प्रथा को समाप्त किया गया। नेहरू जी ने पंचायती राज व्यवस्था पर बल देकर ग्रामीण विकास को नई दिशा प्रदान की।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान "ग्रामीण विकास" से संबंधित कार्यक्रमों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रथम प्रयत्न था, इसका शुंभारंभ 2 अक्टूबर 1952 को जवाहर लाल नेहरू द्वारा किया गया।

भारत की पहली पंचवर्षीय योजना (1952–57) के अन्तर्गत ग्रामीण विकास कार्यक्रम को महत्व प्रदान किया गया और ग्रामीण विकास के लिए उचित शाखाओं की स्थापना पर जोर दिया। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण विकास हेतु 34,000 पंचायतों को स्थापना की गई। इस योजना के अन्त तक ग्राम पंचायत 83000 सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को 1952 में ग्राम निवासियों की थड़ी समस्याओं को हल करना था और इसके लिए समय भी तय किया गया लेकिन जल्द ही सामुदायिक विकास कार्यक्रम असफल हो गया इसके असफल होने के पश्चात बलवंत राय मेहता को अध्यक्षता में सन् 1957 में एक समिति गठित को इसी तरह सादिक अली समिति (1964), गिरधारी लाल व्यास

समिति (1973), अशोक मेहता समिति (1977–78) जी0वी0के0राव समिति (1986) (सिघवी समिति 1986) आदि समितियों ने समय–समय पर पंचायतों की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए स्थापित की गई।

इसी तरह केन्द्र सरकार ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 1986 में एल.एम.सिघवी की अध्यक्षता में एक समिति की स्थापना की। इसी परिप्रेक्ष्य में 1987 व 1988 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने जिला कलेक्टरों को आमंत्रित करने के लिए सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन का विषय "अनुक्रिया" प्रशासन था इन अधिकारियों ने राज्य के सचिव के साथ विमर्श कर, पंचायती राज को सुधारने का निर्णय लिया।

अतः 64 वाँ संशोधन 1989 में लोकसभा में रखा गया लेकिन राज्यसभा द्वारा इसे पारित नही किया। इसके बाद 73 वाँ संवैधानिक संशोधन 1993 में पारित किया गया और इसी अधिनियम अनुसार विभिन्न राज्यों में भी पंचायती राज अधिनियम पारित हुआ। इस संशोधन से पूर्व पंचायती राज व्यवस्था प्रभावी रूप से काम नहीं कर पा रही थी और इनके अधिकार भी बहुत कम थे इस अधिनियम के द्वारा पंचायत राज संस्थाओं को "ग्रामीण विकास" के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने का प्रयास किया गया।

देश के दूसरे भागों की तरह राजस्थान में भी ग्राम पंचायते विधमान थी वायसराय लॉर्ड रिपन के समय में, स्थानीय निकायों को स्थापित करने का प्रयास किया गया। राजस्थान में करौली, उदयपुर, सिरोही, जयपुर, जोधपुर और भरतपुर की रियासतों ने पंचायती पर कानून बनाए राजस्थान लगभग दो दर्जन रियासतो के एकीकरण प्रक्रिया के बाद अस्तित्व में आया ।

1959 में ंराजस्थान पंचायत अधिनियम बनाया गया और पूरे राज्य में ग्राम पंचायतें स्थापित की गई राजस्थान को ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर प्रतिनिधि निकाय की त्रिस्तरीय प्रणाली की परिकल्पना करने वाली लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की योजना को वास्तविक

रूप देने का श्रेय प्राप्त है इस प्रणाली को बाद मे पंचायती राज के रूप में जानने लगे इसका शुभारंभ जवाहर लाल नेहरू ने अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में किया।

जयपुर जिले के अन्तर्गत 15 पंचायत समितियाँ आती है जिनमें सांभर पंचायत समिति का वर्णन करें तो– सांभर के अन्तर्गत आने वाली सांभर झील को भारत की सबसे बड़ी नमक की झील के रूप में जाना जाता है। सांभर के अंतर्गत पंचायत समिति नगरपालिका और तहसील भी है यदि बात करे सांभर पंचायत समिति की तो सांभर पंचायत समिति के अन्तर्ग 45 ग्राम पंचायत और 151 गांव आते है सांभर की अधिकांश जनसंख्या गरीबी है क्योंकि यहां रोजगार के पर्याप्त साधन नही है और न यहां कृषि पालन अधिक है क्योंकि यहां का पानी नमकीन होने कारण यहाँ के निवासियों के साथ–2 कृषि पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है।

यहां की साक्षरता दर 59 प्रतिशत है साक्षरता प्रतिशत अधिक नही होने से यह कह सकते है कि यहां पूर्ण विकास नही हुआ है यह अभी पिछड़े स्थानों के अन्तर्गत आता है। अतः इस शोध में मेरा प्रयास यह रहेगा कि पंचायत राज संस्था ने ग्रामीण विकास में किस प्रकार और कितनी भूमिका निभायी है और इस कार्य में उन्हें किन समस्याओं का सामना किया और समिति के प्रमुख प्रतिनिधियों का इनमें क्या सहयोग रहा।

ग्रामीण विकास का अर्थ व परिभाषा –

अर्थ :– ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के जीवन के भिन्न पहलु से संबंधित कार्यक्रम जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कुटीर, उद्योग, आर्थिक व सामाजिक कल्याण के माध्यम से ग्रामीण निवासी के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना और ग्रामीण निवासी को आत्मनिर्भर बनाना।

सामान्यत :– ग्रामीण विकास का अर्थ–तीन मुद्दों से है

पहला – मूलभूत सुविधा गाँव में विकसित करने का प्रयास करना।

दूसरा – गांवों की निर्धनता को दूर करने का संभव प्रयत्न।

तीसरा– ग्रामीण जन की साझेदारी, अपने देश में गर्वनेस में निश्चत कर, उनमें चेतना उत्पन्न करना।

परिभाषाः– देसाई (1989)–'' ग्रामीण विकास एक पहुंच है जिससे ग्रामीण जन में जीवन की गुणवता में बढोतरी के लिए क्षेत्र के स्त्रोतों को अच्छे उपयोग ओर संरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण के आधार पर सामाजिक–आर्थिक विकास किया जाता है एवं उनके आय के अवसर को उन्नत करने के प्रयास करने है।"

क्रॉप :– (1992) ग्रामीण विकास एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सामूहिक प्रयासों के द्वारा नगर क्षेत्र से बाहर निवास करने वाले जन के जीवन स्तर को सुधारना और उन्हें स्वावलम्बी बनाना है।

शोध के उद्देश्य

1. ग्राम पंचायतों को स्थिति में आए परिवर्तन का अध्ययन।
2. सांभर पंचायत समिति की सामाजिक, आर्थिक, राजनीति पृष्ठभूमि का अध्ययन।
3. सांभर पंचायत समिति में सरकार द्वारा क्रियान्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे–प्रधानमंत्री आवास योजना आदि का अध्ययन और मूंल्याकन करना।

ग्रामीण विकास की भूमिका :– गांधीजी से कहा था कि "यदि लोकतंत्र को सही चलाना है तो यह कार्य केन्द्र में बैठे बीस आदमी द्वारा संभव नही है बल्कि इसे प्रत्येक गांव के लोगों को नीचे से चलाना होगा।"

भारत एक ग्राम प्रधान देश है इसकी तीन चौथाई जनसंख्या गांव में रहते है। अतः भारत के राष्ट्रीय एकता और उन्नति की दृष्टि से ग्रामीण समाज का विकास परम आवश्यक है। सामान्यतः माना गया है कि गांवों को उपेक्षा करके भारत को विकास की दिशा में अग्रसर नहीं किया जा सकता है अतः स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद से ग्रामीण विकास को सर्वोच्च लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया है।

ग्रामीण क्षेत्र समाज के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सभ्यताओं के विकास और विकास के अस्तित्व के लिए और देखा पाए तो आर्थिक दृष्टिकोण से भी ग्रामीण विकास आवश्यक है क्योंकि अधिकांश संसाधन ग्रामीण क्षेत्रों से ही आते है अतः अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखने की दृष्टि से भी ग्रामीण का महत्व है।

अध्ययन की रूपरेखा

1. **प्रथम अध्याय :– परिचयात्मक अध्ययन –**

शोध के प्रथम अध्याय में पंचायती राज व्यवस्था का संक्षिप्त परिचय कर प्राचीन से आधुनिक काल तक पंचायत की विकास यात्रा का विश्लेषण किया जाएगा। साथ ही अध्ययन क्षेत्र की समस्या, शोध विधि और पंचायती राज संबंधित साहित्य समीक्षा का वर्णन किया जाएगा।

2. **द्वितीय अध्याय :– ऐतिहासिक पृष्ठभूमि –**

शोध के दूसरे अध्याय में पंचायती राज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को दो भागों में बांटकर अध्ययन किया जाएगा जिसके अन्तर्गत शोध के पहले भाग में प्राचीन से ब्रिटिश काल तक की पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन प्रस्तुत कर दूसरे भाग में स्वतंत्रता से 1993 तक की व्यवस्था का अध्ययन किया जाएगा।

3. **तृतीय अध्याय :– 73वां संवैधानिक संशोधन और पंचायती राज अधिनियम – 1994 (राजस्थान के संदर्भ में) –**

शोध के तीसरे अध्याय 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम का वर्णन और मूल्यांकन, पंचायती राज अधिनियम – 1994 का अध्ययन किया जाएगा।

4. **चतुर्थ अध्याय :– राजस्थान में ग्रामीण विकास कार्यक्रम की रूपरेखा और कार्यक्रम का मूंल्याकन–**

शोध के चौथे अध्याय में ग्रामीण विकास का अवधारणात्मक अध्ययन और राजस्थान में क्रियान्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन किया जाएगा।

5. **पंचम अध्याय :– सांभर पंचायत में ग्रामीण विकास का मूंल्याकन :–**

शोध के पाँचवे अध्याय में सांभर पंचायत समिति में ग्रामीण विकास कार्यक्रम का विश्लेषणात्मक अध्ययन, समिति की सामाजिक आर्थिक–शैक्षिक पृष्ठभूमि में आए परिवर्तन का अध्ययन, ग्रामीण विकास में पंचायत के सदस्यों व प्रधान की भूमिका का व्यवहारिक अध्ययन और सांभर पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों की व्यवस्था का अध्ययन किया जाएगा।

6 **उपसंहार–** सांभर पंचायत समिति की ग्रामीण विकास में भूमिका का विश्लेषण करने के बाद यह देखने का प्रयास किया जाएगा कि आशा के अनुसार पंचायत समिति ने काम किया या नहीं किया। पंचायत के कार्य करने में आई समस्याओं का अध्ययन, बजट के निर्धारण में तथा विकास योजनाओं का क्रियान्वित, करने में सांभर पंचायत समिति की भूमिका, पंचायत समिति में निर्वाचित सदस्यों ने किस प्रकार ग्रामीण विकास में सक्रिय योगदान दिया। इस पर चर्चा की जाएगी। पंचायत की समस्या व कमियों को दूर कर व प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी से ही विकास संभव है अतः कमियों को दूर करने व प्रतिनिधियों की भागीदारी के लिए सुझाव दिए जाएगें।

परिकल्पना

शोध के उद्देश्यों को पूरा करने और तथ्यों की खोज करने के लिए उपकल्पना की जाती है उपकल्पना शोध का ऐसा भंग है जिसके बिना शोध पूरा नही किया जा सकता। उपकल्पना शोध से पूर्व, शोध के संभावित निष्कर्ष का संबंध उपकल्पना से हो भी सकता है और नही भी।

प्रस्तुत शोध के लिए परिकल्पना इस प्रकार है–

1. सांभर पंचायत समिति द्वारा चलाई गई ग्रामीण विकास गतिविधि सुचारू रूप से नही चल रहा।
2. सांभर पंचायत द्वारा चलाई ग्रामीण विकास गतिविधियाँ सुचारू रूप से चल रही।
3. पंचायत समिति के कार्यो को सफल बनाने में पंचायत के सदस्यों प्रधान का सहयोग नही रहा।
4. पंचायत समिति के कार्यो को सफल बनाने में पंचायत समिति के सदस्य ओर प्रधान का सहयोग रहा।
5. पंचायत समिति के अन्तर्गत ग्राम पंचायत की स्थिति में परिवर्तन आया
6. पंचायत समिति के अन्तर्गत ग्राम पंचायत की स्थिति में परिवर्तन नही आया।

शोध विधि –

- शोध में प्राथमिक स्त्रोत जैसे प्रश्नावली विधि, अनुसूची विधि, साक्षात्कार विधि का प्रयोग किया जाएगा।
- शोध में द्वितीयक स्त्रोत के अन्तर्गत–इंटरनेट, पुस्तके समाचार–पत्र, पत्रिकाए, जनरल आदि का प्रयोग किया जाएगा।
- शोध में विश्लेष्णात्मक विधि का प्रयोग किया जाएगा।
- शोध में प्रतिचयन विधि का प्रयोग किया जाएगा।

शोध प्रश्न–

1. ग्रामीण विकास क्या है ?
2. ग्रामीण विकास के अवरूद्ध होने के कारण क्या–2 है?
3. ग्रामीण विकास अवरूद्ध होना एक चुनौती कैसे?
4. ग्रामीण विकास का पारम्परिक और वर्तमान स्वरूप में क्या अन्तर आये?
5. सरकार द्वारा निर्मित और क्रियान्वित नीतियां ग्रामीण विकास को किस सीमा तक प्रभावित करती है?
6. ग्रामीण विकास किस तरह एक सशक्त लोकतंत्र की स्थापना कर सकता है?
7. ग्रामीण विकास में जनप्रतिनिधियों और जनता की क्या भूमिका है?

साहित्य का अवलोकन :–

1. **डॉ सुरेन्द्र कटारिया (गुज्जन वेद) 2011**–"भारत में चुनौतियाँ" इस पुस्तक में मूलभूत स्त्रोत व आर्थिक–सामाजिक संकेतों के माध्यम से ग्रामीण विकास की धारणा संक्षेप प्रस्तुती की है।

   इन्होंने बताया कि भारत में समूचे ग्राम विकास तथा ग्राम स्वराज की संकल्पना को ठोस रूप देने तथा पंचायती राज संस्थाएँ, लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण करने के लिए श्रेष्ठ माध्यम है।

   स्वतंत्र भारत में अपनाई गई नीतियाँ, कार्यक्रम व योजना जो सामाजिक कल्याण व ग्रामीण विकास में सहायक थी इनके साथ–साथ वर्तमान में चल रही मुख्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों और इनके कार्यक्रमों के साथ जुड़ी समस्याओं का भी वर्णन किया।

2. **प्रतापमल देवपुरा (2006)**– अपनी पुस्तक "ग्रामीण विकास का आधार : आत्मनिर्भर पंचायते" में इन्होंने भारत में गांवों के विकास को मुख्य मुद्दा बनाया और बताया कि गांव व शहरों में अन्तर को स्पष्ट किया – कि जहां शहर आधुनिक विकास की ओर अग्रसर है वहीं गाँवों में मूलभूत आवश्यकताओं की भी व्यवस्था मुश्किल हो रही है 73वें संशोधन के पश्चात् यह आशा कि गई की पंचायती राज की स्थापना से ग्रामीण क्षेत्रों की समस्या दुर होगी पर यह उम्मीद अभी भी पूर्ण नहीं हो पाई है क्योंकि बिना साधनों के विकास असंभंव है, जहां पंचायतों को अधिकार तो दिए पर वित्त प्रबंध पूर्ण नहीं हुआ है और हुआ भी तो वित्त प्रबंध बहुत कमजोर हुआ है ऐसे में पंचायते पूर्ण ग्रामीण विकास में भूमिका निर्वाह नहीं कर पाती है।

3. **कटार सिंह, अनिल शिशोदिया (2018)** – "ग्रामीण विकास सिद्धान्त एवं प्रबंध" इस पुस्तक में इन्होंने ग्रामीण विकास में सहायक तत्वों का वर्णन, ग्रामीण विकास के निर्धारक तत्व, ग्रामीण विकास के वित्त के स्त्रोत क्या होते है, और यह वित्त स्त्रोत किस प्रकार ग्रामीण विकास के लिए आवश्यक होते है।

4. **विजेन्द्र सिंह (2003)** – इन्होंने अपनी पुस्तक "पंचायती राज और ग्रामीण विकास" में बताया कि पंचायत राज प्रणाली सकारात्मक लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अपनायी गयी जो कि भारत के इतिहास में भी निहित है और यह आशा की गई है कि पंचायत प्रणाली गांवों के सामाजिक, राजनीति व आर्थिक विकास के लक्ष्य को पूरा करेगी।

5. **एच.आर.यादव (2009)** – इन्होंने अपनी पुस्तक "ग्रामीण विकास योजना" के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित योजनाओं का विवरण प्रस्तुत कर ग्रामीण विकास में इन योजना के महत्वपूर्ण योगदान का वर्णन किया।

6. **एस.आर.शर्मा (1994)** – इन्होंने अपनी पुस्तक भारत में "पंचायती राज और शिक्षा" में वर्णन किया कि पंचायती राज संस्थाएँ भारत में बहुत पुरानी संस्थाएँ है और इन संस्थाओं का उपयोग ग्रामीण समुदाय सामाजिक संघर्षो के हल के लिए करता था प्राचीन काल में इन संस्थाओं ने महत्चपूर्ण भूमिका निभाई परन्तु निर्देशों के आने के साथ यह पंचायती राज संस्थाएँ कमजोर होने लगी स्वतंत्रता के बाद गांधी और नेहरू ने इन संस्थाओं के पुनरूद्धार पर बल दिया। आगे पुस्तक में लेखक ने बताया है 1992 में भारतीय संसद द्वारा पंचायती राज अधिनियम पारित कर पंचायत को व्यापक शिक्षा प्रदान की गई जिसमें शिक्षा का क्षेत्र भी शामिल है।

7. **एस.पी.सिंह (2003)** – इन्होने अपनी पुस्तक "ग्रामीण विकास के लिए योजनाएँ और प्रबंध" में बताया गया है ग्रामीण विकास का केन्द्रीकृत प्रबंधन, पंचायत राज प्रणाली के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों की जरूरतों को सुगम धारणा देता है और किस प्रकार सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को प्रारंभ किया गया। लेकिन यह पूर्णतः अभी भी सफल नही हुआ जिससे अभी भी ग्रामीण क्षेत्र गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत कर रहे है। लेखक ने अपनी पुस्तक में ग्रामीण विकास के प्रबंधन पर बल दिया जिसके माध्यम से ग्रामीण विकास संभव हो सकता हैं

8. **पुरेनंदु शेखर दास (2005)** – इन्होंने अपनी पुस्तक "विकेन्द्रीकृत योजना और ग्रामीण विकास भागीदारी" में वर्णन किया कि विकास चाहे आर्थिक सामाजिक या सांस्कृतिक हो या चाहे स्थूल स्तर पर हो या सूक्ष्म पर सभी विकास प्रक्रियाओं के मूल में नियोजन होता है लेकिन नौकरशाही की सम्पूर्ण योजना प्रणाली पर पकड़ और राज्य सरकारों की अनिच्छा के कारण कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सका इस कारण अधिक विकास हेतु पंचायती राज प्रणाली को सक्रियता प्रदान करने की आवश्यकता को बल दिया गया है।

9. **एस.ब्लूचेमी (2004)** –इनके द्वारा रचित "पंचायती राज संस्थाएँ" पुस्तक में बताया इन्होने बताया कि विकासशील देशों के राष्ट्रीय विकास में ग्रामीण विकास किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

   यह ग्रामीण विकास पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा ही संभव है आगे लेखक ने बताया यही संस्थाएँ कहीं समस्याओं का सामना कर रही है इसलिए इन समस्याओं को दूर करने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन की आवश्यकता है।

10. **एस.एल.गोयल और शालिनी रजनीश (2009)** – इन्होंने अपनी पुस्तक "भारत में पंचायती राज" में ग्रामीण विकास राष्ट्रीय रोजगार गांरटी अधिनियम 2005

के विशेष संदर्भ पर विचार प्रस्तुत करते हुए बताया कि ग्रामीण विकास यांत्रिक विकास न होकर मानवीय प्रक्रिया है और इसे सफल बनाने के लिए प्रशासन की भी आवश्यकता है।

इन्होंने विचार प्रकट करते हुए बताया कि भारत की जनसंख्या की एक तिहाई जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत कर रही है इससे उन्होंने शारीरिक व भावात्मक दोनों दुखों को सामना करना पड़ता है अतः इन सबको ध्यान में रखते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए कई कार्यक्रम चला रहा है। जिससे ग्रामीण क्षेत्र का समग्र सामाजिक और आर्थिक विकास हो सके।

11. **सुमन कुमारी और सहनवाज आलम (2016)** – इन्होंने अपने पत्र "ग्रामीण विकास में पंचायत की भूमिका" में सरकार और पंचायत राज ग्रामीण विकास को आवंटित नीतियों का वर्णन और इन नीतियों ने ग्रामीण विकास में कहा तक सफलता प्राप्त की है इसका अध्ययन प्रस्तुत किया। इन्होंने ग्रामीण विकास द्वारा चलाई योजनाओं के लक्ष्य बताए कि सरकार इन योजनाओं के द्वारा गरीबी को कम करना चाहती है, बेरोजगारी को पूर्णतः समाप्त कर ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के प्रयास कर रही है।

12. **गैरी पॉल ग्रीन (2013)** – ने अपनी पुस्तक "ग्रामीण विकास की पुस्तक" में ग्रामीण विकास के कई मुद्दों के अध्ययन पर प्रकाश डाला गया है और वैश्विक अर्थव्यवस्था को बदलने हेतु विभिन्न रणनीतियों का वर्णन भी किया है।

13. **जी.पलानीधुराई (2000)** – इनकी पुस्तक "तमिलनाडु में नई पंचायती राज व्यवस्था" में राज्य और केन्द्र सरकार की भूमिका, विकेन्द्रीकरण को समस्याएँ,

शक्तियों का विकेन्द्रीकरण और स्थानीय प्रशासन के इतिहास का वर्णन किया गया है। रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा आदि विषयों पर और साथ ही इनके हस्तान्तरण पर चर्चा की गई है दलितों हेतु आरक्षण सीट का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है साथ महिला के लिए आरक्षित सीटों के उपयोग पर विस्तृत चर्चा की गई है।

महिलाएँ, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों द्वारा अपना विकास कैसे कर सकती है, ग्रामीण शक्तियों के विकेन्द्रीकरण की योजना, तमिलनाडु पंचायती राज अधिनियम–1994 इत्यादि का वर्णन इस पुस्तक में किया गया है।

14. **जी. पलानीधुराई और वी. रगुपथी (2006)** – इन्होंने अपनी पुस्तक "ग्राम सभा की कार्यात्मक दक्षता" के अन्तर्गत तमिलनाडु की ग्राम सभा की दक्षता को वर्णन किया हे जो कि 73 वें संविधान संशोधन द्वारा प्रकाश में आया। इन्होंने तमिलनाडु पंचायत अधिनियम से ग्राम सभा की बैठक और कार्यवाही में जो अन्तर आया उसका वर्णन किया। सरकार द्वारा किए गए प्रयास सरकार का ग्रमीण योगदान, ग्राम सभा बैठक के बार में लोगों की क्षेत्र में धारणा का विस्तृत वर्णन किया। के लिए क्या–क्या प्रयास और किस स्तर पर प्रयास किए जाए इसका वर्णन किया।

15. **डी.पी.राघव राव (1980)** – द्वारा रचित पुस्तक पंचायते और ग्रामीण विकास में कर्नाटक के तामुर जिले में ग्रामीण विकास का अध्ययन किया गया है। इन्होने बताया कि विकेन्द्रीकृत के द्वारा ग्रामीण विकास की सफलता जो कि लोकतांत्रिक संस्थाओ की शाति संरचना पर निर्भर होती है। इन्होने अपने अध्ययन में वर्णन किया कि सत्ता प्रभुत्वशाली वर्ग और जाति पर आधारित होती है। साथ अपने अध्ययन में पंचायत के उच्च आर्थिक वर्गो के प्रभुत्व को कम करके गरीबी और कमजोर वर्गो की शिक्षा स्तर को बढ़ाने और उसमें सुधार हेतु बल दिया।

16. **अलध योगिन्दर (2005)** – इन्होने अपनी पुस्तक भारत में पंचायती राज और योजना में ग्रामीण योजना और उसके कार्यवाही का अध्ययन किया गया है। इस पुस्तक के प्रथम भाग में विकेन्द्रीकृत प्रयासो का वर्णन किया। दूसरे भाग में इन्होने ग्रामीण योजना का वर्णन किया। तीसरे भाग में इन्होंने नीतियो से संबंधित निष्कर्ष को प्रस्तुत किया।

    इस पुस्तक मे मजबूत नेतृत्व ओर ग्रामीण क्षेत्र में राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए स्थानीय सरकार के सामने आने वाली चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला गया है।

17. **योगिन्दर सिंह सिसोदिया (2005)** –इनके द्वारा लिखित पुस्तक "पंचायती राज व्यवस्था की कार्यपद्धति" मध्यप्रदेश (उज्जैन) इंस्टीटयूट ऑफ सोशल साइंस रिसर्च द्वारा आयोजित संगोष्ठी का परिणाम है। इस पुस्तक में पंचायत की संरचना और कार्यपद्धति का और राज्यों में इसका विकास किस तरह किया गया इसका वर्णन किया गया साथ ही ग्राम सभाओं के कार्य पर विस्तृत चर्चा की गई है। विकेन्द्रीकृत शासन की गतिशीलता को समझकर पंचायत की उपलब्धि और पंचायत की कार्यप्रणाली में आने वाली समस्याओं का वर्णन और इन समस्या के निराकरण के सुझाव इस पुस्तक में दिए गए है।

18. **डॉ.एस.हन्नापन्ना (2007)** – ने अपने लेख "कर्नाटक के ग्रामीण विकास पर पंचायत राज की भूमिका पर अनुभवजन्य अध्ययन" में बताया कि पंचायती राज प्रणाली के उद्‌भव से किस तरह ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के जीवन स्तर में एक सकारात्मक परिवर्तन आया है। लेखक ने अपने लेख में वर्णन किया कि ग्रामीण विकास कार्यक्रम में जिस क्षेत्र का चयन किया उन क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति में सुधार आया। 21वीं शताब्दी में पंचायतों द्वारा ग्रामीण

विकास हेतु इन योजनाओं के क्रियान्वयन को इस पत्र में आवश्यक बताया गया।

19. **पी.सुश्चेव (2010)** – इन्होंने अपने पत्र "ग्रामीण क्षेत्र समस्याएँ और विकास के अवसर" में ग्रामीण इलाको की समस्या का अध्ययन कर इन समस्याओं के निराकरण हेतु दिशा–निर्देशों का वर्णन किया। सैद्धान्तिक आधार प्रस्तुत करते हुए बुल्गरिया के ग्रामीण विकास का और ग्रामीण विकास के सम्मुख आने वाली समस्याओं पर चर्चा की।

संदर्भ ग्रंथ सूची –

1. चोपड़ा, प्राण (2003)–"पंचायती राज पर बादल", द हिन्दु, सितम्बर 13।
2. अहुजा राम (1993) – "भारतीय सामाजिक व्यवस्था" नई दिल्ली, रावत प्रकाशन।
3. देसाई, वसंत (1980) – "लोगों को पंचायती राज सत्ता" बोम्बे, हिमालय कम्पनी प्रकाशन।
4. भारतीय कानून (2005) – "समानांतर पंचायती राज संस्थान" इण्डलॉ.कॉम।
5. माहेश्वरी, एस.आर. (1985) – "भारत में ग्रामीण विकास", नई दिल्ली, ऋषी प्रकाशन।
6. मैथ्यू, जॉर्ज (2002) "पंचायती राज के दुश्मन" द हिन्दु, जनवरी 11।
7. राष्ट्रीय आयोग (2001) "विकेन्द्रीकरण (पंचायती) के लिए संवैधानिक प्रावधान की समीक्षा, नई दिल्ली, सितम्बर 26।
8. पढ़ी, किशोर चंद्रा (1986) "आधुनिक भारत में ग्रामीण विकास" नई दिल्ली, वी. आर. प्रशासन।

9. रेड्डी, राम (2005) "भारत में पंचायती राज की ढांचा" हेरिटेज प्रकाशन, दिल्ली।

10. देसाई वसंत (2005) "पंचायती राज लोगों की शक्ति" हिमालय प्रकाशन हाउस।

11. अलघ, वाई. के (2002) "भारत में पंचायती राज और योजनाः भागीदारी संस्थान और ग्रामीण सड़क, नई दिल्ली एशियाई परिवहन विकास संस्थान।"

12. गुप्ता डी.एन (2004) –"सुधार के लिए विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता, दिल्ली, संकल्पना प्रकाशन।

13. एस.एन.मिश्रा, श्वेता मिश्रा, चेताली पाल, 2000, विकेन्द्रीकरण मित्तल प्रकाशन, ए–110, मोहन गार्डन, नई दिल्ली।

14. "भारत के राज्यों और संघ के राज्यों में पंचायती राज का स्थान" 2000, सामाजिक विज्ञान संस्थान।

15. अंजना चौधरी (2004)– "ग्रामीण समाज विज्ञान, मुख्य प्रकाशक ओर वितरक, 116/ए, दक्षिण अनारकली, नई दिल्ली।

16. बी.पी.जोशी और जी.एस.नरवानी, 2002, "भारत में पंचायती राज, रावत प्रकाशन, जयपुर

17. बी.के.साहु (2003)– "भारत में ग्रामीण विकास" अनमोल प्रकाशक, नई दिल्ली।

18. महिपाल, (2003)– "भारत में पंचायतों की आवश्यकता और स्त्रोत के बीच अन्तर मित्तल प्रकाशन, नई दिल्ली।

19. Venkatargaiya, m. and m. pattabhiram. 1969 Local Government in india; Select Reading : Bombay Allied publisher.

20. Sinha Anil K, 2008, Bihar Panchayat Raj : law and legislation patna : Eastern book agency.

21. Sivanna, N. 1999. "Decentra lisation and Rural development the case of Karnataka ; Indian Social Science Review (1) : 29-50

22. Mathur, P.C.1964 "Socialogical dimension of panchayat Raj" in Indian journal of public Administration Vol. x, no.1, January-1964

23. Hooja, Rakesh 2010-"The Rural delivery system and the various entities involved in Rural development" In india journal of public administration, Vol.LVI, April-June 2010.

24. B.s Khanna (1994), Panchayat Raj in Ihdia, Deep and Deep publication, New delhi.

25. V.N. Alok and P.K. Chaudey (2010), Panchayat in India, Measuring devoution by states: macmillan paublishers India Ltd., delhi.

26. Minhas Bos (1970)," Rural poverly land distribution and development" Indian Economic Review, v.s

27. Narang Ashok (2006),"Idian Rural Problems," Murari and sans New delhi, p.40.

28. Peter (1985)"Rural oPovrty" PP.225-232.

29. Dey, Sok (1961), Panchayati Raj, Asia Publishing Hourse, New delhi.

30. M.P. Sharma (1960), Local self Government in India, Kitab ahal, 6-A, Zero Road, Allahabad.

31. George Mathew (1984), States of Panchayati Raj in India, Instiitute of social science, New delhi.

32. Verma, Sol.(Edited) " Panachayai Raj. Gram Swaraj and federal polity j" Rawat Publication. Jaaipur, 1990.

33. Umman , M.A. " panchayati and their Linances " Institure of social science, New delhi, 1995

34. Sharma Bhatt, U.K "New panchayat Raj in India" Radha publication, 1992

35. Sahani Raghubir, "Panchayati Raj in india : A study", kitab mahal Allahabad, 1968

36. Panday, Ram "Panchayati Raj" Jaipur publishing house, jaipur 1989

37. Maddic, Henry, "Panchayat Raj" , longman group ltd,

38. Abraham LoA. and Howtery, SoC. : "A parliamentary dictionary", London 1964

39. Ambedkar Sn (2000)- New Panchayati Raj at work - ABD publishers; Jaipur

40. Pattanaik S.N. (2010) - Rural women panchayati Raj and development - Arise publishers, New delhi.

41. S Nagendra Ambedkar and shilaja Nagendra (2006) - Role of women in Panchayat Raj - ABD Publication, delhi.

42. Rajneesh and S.L. Goel (2010) - Panchayat Raj in India : Theory and practice - deep and deep publications.

43. G Palanithurai (2000) - Dynomic of Panchayati Raj system in India - Neha publishers and distributors, New Delhi.

44. Vijay Kumar, A Panchayat System in india : Historical, Constitutional and financial Analysis, edited by Ghosh R. and parmanikm A.K. New Delhi.

45. Bakshi, P.M. 2000. The constitution of India, universal publishers, New Delhi.

46. Mishra, S.N and S. mishra (2002). docentralized governance, delhi : Shipra publication, P.63

47. Talukdar, A.C.(1987). Political transition in the grassroots in tribal india, GGuwahati : Om sons publications, P.78

48. Alok, V.N. (2011). Role of Panchayati bodies in Rural. Indian Institude of public Administration. PP2-57

49. Panday, B.P., (1990). Gandhi and Economic development radiant publishers, New Delhi. P-155

50. Pandit A.S. and B .V. kulkarni, 2012."The role of jat Panchayat in Rural development."Online International interdisciplinary Research journal.

51. Vijay Kumar A. 1999. "Panchayat system in india : An overview" In Panchayat system in india : Historical, Constitutional and financial analysis, edited by R. Ghosh and A.K. Pramanik. New Delhi :

वेब लिंक–

Https://book/google.con.in/book-panchayati/rajinstitutions

Https//:www.ukessays.com

Https//:www.researchgate.com

Https//:www.book.google.co.in

Https//:www.cabdirect.com

Https//:www.yourarticle.liabrary.com

Https//:www.legalserviceindia.com

Https//:www.journalcra.com

Https//:www.istor.org

Https//:urban.rajasthan.gov.in/content/raj/udh/nagar-palika-sambhar/en/home.html.htm